



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 18 जुलाई, 2024 / 27 आषाढ़, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2024

संख्या: पर (एपी.बी)ए(3)-1 / 2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: 2-6/71-81—राजपत्र / 2024-18-07-2024 (2291)

डी०पी०(नियुक्ति-II), तारीख 20-09-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-09-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- | | | |
|-------------------------------|-------|---|
| संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ। | 1. | <p>(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (35वां संशोधन) रेगुलेशनज, 2024 है।</p> <p>(ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे</p> |
| शेड्यूल
संशोधन। | का 2. | <p>हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 से संलग्न शेड्यूल की मद संख्या 8 (क) क्रम संख्या (i) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—</p> <p>“(i) Process of selection and recommendations for making recruitment to all Group-C except 06 (six) posts i.e. Company Commander, JOA (Accounts), Junior Auditor, Ayurvedic Pharmacy Officer, Assistant Mining Inspector & Mining Inspector.</p> |

Provided that the above said 06 (six) posts will remain in the purview of the HPPSC only till the completion of process of making recommendations of these posts to the concerned Departments.”

(ख) क्रम संख्या 8(vii), (viii), (ix) एवं (x) को लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
आर० डी० नजीम, भा०प्र०स०,
प्रधान सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP-B)A(3)-1/2024, dated 16-07-2024, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th July, 2024

No. Per (AP-B)A(3)-1/2024.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased

to make the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, notified *vide* Notification No. 2-6/71 DP(Appt.II), dated 20-09-1973, as published in Government of Himachal Pradesh extra ordinary Rajpatra dated 21-09-1973, namely:—

Short title and commencement. 1. (i) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (35th amendment) Regulations, 2024.

(ii) These shall come into force with immediate effect.

Amendment of the Schedule. 2. In the Schedule appended to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973 in item No. 8:—

(a) Serial No. (i) shall be inserted, namely:—

“(i) Process of selection and recommendations for making recruitment to all Group-C except 06 (six) posts i.e. Company Commander, JOA (Accounts), Junior Auditor, Ayurvedic Pharmacy Officer, Assistant Mining Inspector & Mining Inspector.

Provided that the abovesaid 06 (six) posts will remain in the purview of the HPPSC only till the completion of process of making recommendations of these posts to the concerned Departments”.

Serial No. (vii), (viii), (ix) & (x) shall be deleted.

By order,

R.D. NAZEEM, IAS,
Principal Secretary (Personnel).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी स्व० नसीव सिंह, निवासी सुनेहड, डा० चौधीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी स्व० नसीव सिंह, निवासी सुनेहड, डा० चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके सुपुत्र का जन्म दिनांक 22-03-1985 को ग्राम पंचायत कुदैल में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-06-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

कुसुम रानी पत्नी कर्ण सिंह, निवासी महाल अनोह दियाल, डा० घमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फ्रीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र.—बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया कुसुम रानी पत्नी कर्ण सिंह, निवासी महाल अनोह दियाल, डा० घमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने निवेदन किया है कि उसकी सास की मृत्यु तिथि 23-07-2017 है जोकि लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाडी में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थिया की सास सन्ध्या देवी की मृत्यु तिथि 23-07-2017 लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाडी में दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त की सास की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थिया की सास की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 19-07-2024

सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल भटेछ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी है जबकि महाल डुडम्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सन्तोष कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके सन्तोष कुमार उपनाम सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 13-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा नं० : 25/Teh/2024

किरम : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 20-07-2024

श्री विजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास, वासी गांव मझेडा, डाठो कच्छेडा, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत मझेडा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास, वासी गांव मझेडा, डाठो कच्छेडा, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत मझेडा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय व्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया की उसके पिता की मृत्यु दिनांक 10-02-1982 को गांव मझेडा, ग्राम पंचायत

मझेडा में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया था। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मझेडा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 लक्ष्मण दास पुत्र मसदी राम की मृत्यु दिनांक 10-09-1982 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-07-2024 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 लक्ष्मण दास की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मझेडा को पारित कर दिया जायेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 22-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री गौरव सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव मोच, डा० सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फ्रीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र.—बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

श्री गौरव सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव मोच, डा० सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसकी बेटी अराध्या की जन्म तिथि 08-07-2017 है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सुनेट में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः अराध्या पुत्री श्री गौरव सिंह, माता का नाम शिवानी की जन्म तिथि दिनांक 08-07-2017 लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सुनेट में दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा उपरोक्त नाम दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मोनिका कुमारी पुत्री श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव पन्तेहड, डाठ धिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

मोनिका कुमारी पुत्री श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव पन्तेहड, डाठ धिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 19–11–1988 को गांव पन्तेहड, डाठ धिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22–07–2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रकाश चन्द पुत्र श्री इन्द्र राम, निवासी गांव बडुआं, डाठ धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

प्रकाश चन्द पुत्र श्री इन्द्र राम, निवासी गांव बडुआं, डाठ धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत से अपने पुत्र हरजीत कुमार का प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 25–06–1983 को गांव बडुआं, डाठ धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22–07–2024 को सुबह 10.00 बजे इस

न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रानी देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव पशाकोट (कण्ड कोसरी), डा० संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

रानी देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव पशाकोट (कण्ड कोसरी), डा० संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म तिथि 01-01-1984 को गांव पशाकोट (कण्ड कोसरी), डा० संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-07-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जससिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं० : 30 / Teh / 2024

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-07-2024

मन्जु कुमारी पुत्री स्व० श्री रंगील सिंह, वासी गांव व डा० मैला, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत मैला, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

मन्जु कुमारी पुत्री स्व0 श्री रंगील सिंह, वासी गांव व डा मैला, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत मैला, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने जन्म का पंजीकरण करने बारे इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय व्यान हल्की पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 25-03-1968 को गांव मैला, ग्राम पंचायत मैला में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मैला को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त मन्जु कुमारी पुत्री स्व0 श्री रंगील सिंह का जन्म दिनांक 25-03-1965 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2024 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त मन्जु कुमारी पुत्री स्व0 श्री रंगील सिंह के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश संबंधित उप—स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मैला को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-06-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, उप—तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

जीत सिंह पुत्र घूमी, निवासी गांव ककडोह, डाकघर वेही पठियार, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

यह प्रार्थना—पत्र जीत सिंह पुत्र घूमी, निवासी गांव ककडोह, डाकघर वेही पठियार, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने हेतु पेश किया है जिसमें प्रार्थी का नाम दलजीत सिंह है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम जीत सिंह है जिसे वह दुरुस्त करना चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल शपथ—पत्र, नकल जमाबंदी, महाल ककडोह साथ संलग्न की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एजराज है तो वह दिनांक 14-06-2024 तक प्रातः 10.00

2300

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2024 / 27 आषाढ़, 1946

बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दलजीत सिंह उर्फ जीत सिंह करने बारा आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरांत कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 14/RNT

तारीख दायर : 10-04-2024

तारीख पेशी : 30-05-2024

सरुप लाल पुत्र रंगेल सिंह, निवासी गांव भोल खास, डाकघर मिन्जग्रां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोलदा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी सरुप लाल पुत्र रंगेल सिंह, निवासी गांव भोल खास, डाकघर मिन्जग्रा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी मौसी छान्तो देवी की मृत्यु पंजीकरण बारे इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मृत्यु तिथि 21-12-2016 दर्शाई है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पर लिखा है कि मेरी मौसी की मृत्यु का पंजीकरण किसी कारणवश ग्राम पंचायत सोलदा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी मौसी छान्तो देवी की मृत्यु 21-12-2016 को ग्राम पंचायत सोलदा में पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की मौसी छान्तो देवी की मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एजराज हो तो वह दिनांक 30-05-2024 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी की मौसी का मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सोलदा में पंजीकरण करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : 06 / RNT

तारीख दायर : 05-04-2024

तारीख पेशी : 30-05-2024

मसरवी राम पुत्र भगत राम पुत्र मेहर चन्द, निवासी गांव डोलमा, डाकघर डोल, तहसील ज्वाली, जिला
कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

प्रार्थी मसरवी राम पुत्र श्री भगत राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र संलग्न दस्तावेज
प्रमाण—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है। जिसमें कि
उसके पिता भगत राम पुत्र मेहर चन्द की मृत्यु तिथि 26-04-2000 दर्शाई गई है जो कि ग्राम पंचायत पदर
के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जाना है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की
मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पदर के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह
असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-05-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज
करवा सकता है। हाजिर न आने कि सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज
करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कोटला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

रघुनाथ पुत्र वृज लाल, गांव वग, डाकघर वगगा, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।
बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

यह प्रार्थना—पत्र रघुनाथ पुत्र वृज लाल, गांव वग, डाकघर वगगा, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा
(हि० प्र०) ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने हेतु पेश किया है जिसमें प्रार्थी का नाम रघुनाथ सिंह
दर्ज है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रघुनाथ है जिसे वह दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने
प्रार्थना—पत्र के साथ आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र की प्रति, शपथ—पत्र, नकल जमाबंदी, महाल वग साथ
संलग्न की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने में कोई उजर व एजराज है तो वह दिनांक 28–06–2024 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम रघनाथ सिंह उर्फ रघनाथ दर्ज करने बारा आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरांत कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती टशी डोलमा पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव कंचनीकूट, डा० वशिष्ठ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती टशी डोलमा पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव कंचनीकूट, डा० वशिष्ठ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत वशिष्ठ के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 08–11–1986 ग्राम पंचायत वशिष्ठ के अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, सचिव ग्राम पंचायत वशिष्ठ व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू हल्किया व्यान, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व प्रार्थिया तथा गवाहान के लिखित व्यान से पाया गया की श्रीमती टशी डोलमा पुत्री श्री राम सिंह की जन्म तिथि 08–11–1986 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती टशी डोलमा पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव कंचनीकूट, डा० वशिष्ठ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत वशिष्ठ के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 18 जुलाई, 2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत वशिष्ठ के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री तेज सिंह, निवासी गांव व डा० बडाग्रां, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री तेज सिंह, निवासी गांव व डा० बडाग्रां, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत बडाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 16-03-1982 ग्राम पंचायत बडाग्रां के अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, सचिव ग्राम पंचायत बडाग्रां व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू हल्फिया व्यान, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व प्रार्थिया तथा गवाहान के लिखित व्यान से पाया गया की श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री तेज सिंह की जन्म तिथि 16-03-1982 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्ताहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री तेज सिंह, निवासी गांव व डा० बडाग्रां, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत बडाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 21 जुलाई, 2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बडाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

श्रीमती पूनम सुबा पत्नी श्री राज कुमार सुबा मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा० बांहग, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती पूनम सुबा पत्नी श्री राज कुमार सुबा मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा० बांहग, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि मेरे पुत्र वंश सुबा का जन्म 11-04-2007 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत शनाग के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू

ग्राम पंचायत शनाग व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री वंश सुबा पुत्र श्री राज कुमार की जन्म तिथि 11-04-2007 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्ताहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री वंश सुबा पुत्र श्री राज कुमार सुबा की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गुप्त राम, निवासी गांव रुआड, डा० पलचान, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्ताहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गुप्त राम, निवासी गांव रुआड, डा० पलचान, तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म 10-02-1969 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत पलचान के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ग्राम पंचायत पलचान व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गुप्त राम की जन्म तिथि 10-02-1969 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्ताहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गुप्त राम की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत पलचान के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : 141 / 2024

तारीख मरजुआ : 18-06-2024

तारीख पेशी : 19-07-2024

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री स्वामी राम पुत्र रीखी राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्खास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री स्वामी राम पुत्र रीखी राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस अदालत में दिनांक 18-06-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विनोद सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सिमस में विनोद कुमार दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल सिमस में प्रार्थी का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विनोद कुमार उपनाम विनोद सिंह पुत्र श्री स्वामी राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-07-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : 142 / 2024

तारीख मरजुआ : 18-06-2024

तारीख पेशी : 19-07-2024

श्री संजीव पुत्र बेली पुत्र गुरदास, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्खास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकदमा में प्रार्थी श्री संजीव पुत्र बेली पुत्र गुरदास, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस अदालत में दिनांक 18-06-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संजीव कुमार है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सिमस में संजीव दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल सिमस में प्रार्थी का नाम संजीव के स्थान पर संजीव उपनाम संजीव कुमार पुत्र श्री बेली, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-07-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

शीर्षक :

श्री परमा नन्द पुत्र श्री टोडर राम, निवासी महौण, डाकघर घिडी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री परमा नन्द पुत्र श्री टोडर राम, निवासी महौण, डाकघर घिडी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-02-1963 को निवासी महौण, डाकघर घिडी में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2024 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकदमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

शीर्षक :

श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री श्री संत राम, निवासी गांव व डाकघर महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री श्री संत राम, निवासी गांव व डाकघर महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 31-01-1976 को गांव निवासी व डाकघर महादेव में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2024 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकदमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कैलाश कौण्डल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, करसोग, तहसील करसोग,
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : 4

तारीख मरजुआ : 21-06-2024

तारीख पेशी : 22-07-2024

हिरदा राम पुत्र पदमा राम, निवासी माटल, डाकघर चौरीधार, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु स्वयं न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ—पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत धगाली व नकल जमाबन्दी, पटवार वृत्त स्यांज बगड़ा के महाल डी०पी०एफ० खादरा संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत धगाली, आधार कार्ड और वोटर कार्ड में हिरदा राम दर्ज है जोकि सही है परन्तु पटवार वृत्त स्यांज बगड़ा महाल डी०पी०एफ० खादरा के जाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम परस राम दर्ज है जोकि गलत है इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त स्यांज बगड़ा के महाल डी०पी०एफ० खादरा के जाबन्दी रिकार्ड में परस राम की बजाए परस राम उर्फ हिरदा राम दर्ज करने बारा निवेदन किया है।

अतः आम जनता को इस मुख्ती मुनादी तथा प्रकाशन राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त स्यांज बगड़ा के महाल डी०पी०एफ० खादरा के जमाबन्दी रिकार्ड में परस राम उर्फ हिरदा राम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में मिति 22-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थी के सही नाम दर्ज करने बारा आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
करसोग, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

**Before the Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, District Mandi (H.P.)**

Sushma Devi d/o Sh. Hem Singh, r/o Ludhiana, P.O. Pehad, Sub-Tehsil Mandap, Distt.
Mandi (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public ..Respondent.

Application for Name Correction.

Whereas the above named applicants has made an application before the undersigned regarding correction of their name as Guddi Devi @ Sushma Devi in place of Guddi Devi in the revenue record of Muhal Banerdi/121 and Ludhiana/120, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change her name as Guddi Devi @ Sushma Devi in place of Guddi Devi, they should appear before the undersigned on or before 19-07-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of June, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, District Mandi (H.P.).*

**Before the Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, District Mandi (H.P.)**

Chameli Devi w/o Sh. Raj Mal, r/o Thana, P.O. Baroti, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application for Name Correction.

Whereas the above named applicants has made an application before the undersigned regarding correction of their name as Champa @ Chameli Devi in place of Champa in the revenue record of Muhal Banerdi/121 and Ludhiana/120, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change her name as Champa @ Chameli Devi in place of Champa, they should appear before the undersigned on or before 19-07-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of June, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Sh. Laxman Singh Kanet (HPAS) Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sukhbir Singh s/o Baldev Singh, VPO Gohar, Tehsil Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

2. Simarjeet Kaur, r/o Mangwain Muhalla, Mandi, Distt. Mandi (H.P)

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sukhbir Singh & Simarjeet Kaur have filed an application on 20-05-2024 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-06-1993 and they are living as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-07-2024. The objection received after 22-07-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-05-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyat at Gohar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Paramveer Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o H.No. 206/3, Near I.T.I. Hostel, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Palwinder Kaur d/o Sh. Jagtar Singh, Vill. Urdhan, P.O. Gaure Nangal, Tehsil Ajnala, Distt. Amritsar, Punjab- 143 103 ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Paramveer Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o H.No. 206/3, Near I.T.I. Hostel, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) & Smt. Palwinder Kaur d/o Sh. Jagtar Singh, Vill. Urdhan, P.O. Gaure Nangal, Tehsil Ajnala, Distt. Amritsar, Punjab [at present wife of Sh. Paramveer Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o H.No. 206/3, Near I.T.I. Hostel, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-03-2024 according to Sikh rites and customs at their respective houses, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-07-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of June, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**Before the Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade), Mandap, District Mandi
(H.P.)**

Prem Singh Thakur s/o Late Sh. Bhagi Ram, r/o Morla, P.O. Brang, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public ..Respondent.

Application for Name Correction.

Whereas the above named applicants has made an application before the undersigned regarding correction of their name as Prem Singh @ Prem Singh Thakur in place of Prem Singh and that his father as Bhagi @ Bhagi Ram in place of Bhagi in the revenue record of Muhal Moral/152, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change their respective names as they should appear before the undersigned on or before 25-07-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 18th day of June, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar-cum-Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ranish Sharma s/o Sh. Amit Sharma, r/o H. No. 5/5, Place Colony, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Bharti Behl d/o Sh. Bhupal Behl, r/o H. No. 145/7, Upper Samkhetar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ranish Sharma s/o Sh. Amit Sharma, r/o H. No. 5/5, Place Colony, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) & Smt. Bharti Behl d/o Sh. Bhupal Behl, r/o H. No. 145/7, Upper Samkhetar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) [at present wife of Sh. Ranish Sharma s/o Sh. Amit Sharma, r/o H. No. 5/5, Place Colony, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-02-2024 according to Hindu rites and customs at Banquet Hall Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-07-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of June, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sameer Kalyer s/o Sh. Ashok Kumar, r/o H.No.- 1519, Sector 7C, Chandigarh- 160 019.
2. Smt. Radhika Thakur d/o Dhani Ram, r/o Village Sambal, P.O. Bijni, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sameer Kalyer s/o Sh. Ashok Kumar, r/o H.No. 1519, Sector 7C, Chandigarh- 160 019 & Smt. Radhika Thakur d/o Dhani Ram, r/o Village Sambal, P.O. Bijni, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Sameer Kalyer s/o Sh. Ashok Kumar, r/o H.No. 1519, Sector 7C, Chandigarh- 160 019] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-03-2024 according to Hindu rites and customs at Dev Bala Kameshwar Devdar, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-07-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of June, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sahib Singh s/o Sh. Amrit Singh, r/o H.No.-270/12, Ram Nagar, Mandi, P.O. Mandi. Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Hardev Singh, r/o Village Gharwasra, P.O. Balhara, Tehsil Baldwar, Distt. Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sahib Singh s/o Sh. Amrit Singh, r/o H.No.270/12, Ram Nagar, Mandi, P.O. Mandi. Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) & Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Hardev Singh, r/o Village Gharwasra, P.O. Balhara, Tehsil Baldwar, Distt. Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Sahib Singh s/o Sh. Amrit Singh, r/o H.No. 270/12, Ram Nagar, Mandi, P.O. Mandi. Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-11-2022 according to Hindu Sikh rites and customs at their respective houses, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-07-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th day of June, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ghanshyam Joshi s/o Sh. N. L. Joshi, r/o Village Panjheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Arti d/o Sh. Jagjeevan Singh, r/o Village Maslayana, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ghanshyam Joshi s/o Sh. N. L. Joshi, r/o Village Panjheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) & Smt. Arti d/o Sh. Jagjeevan Singh, r/o Village Maslayana, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Ghanshyam Joshi s/o Sh. N. L. Joshi, r/o Village Panjheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-05-2023 according to Hindu rites and customs at River Bank, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-07-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th day of June, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

In the Court of Sh. Laxman Singh Kanet (HPAS) Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.)

In the matter of :

1. Ramesh Kumar s/o Balu, r/o Village Tikkari, P.O. Moviseri, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Radha Devi d/o Sh. Shawanu, r/o Shilhnu (Bharmoth), P.O. Shilhnu, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 8.4 of H.P. Marriage Registration Act, 1996.

Ramesh Kumar & Radha Devi have filed an application on 25-06-2024 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of H.P. Marriage Registration Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 20-12-2000 and they are living as husband and wife since then. Due to lack of knowledge they had not entered the name of his wife in Gram Panchayat Seri. Now, as per provision under section 8.4 of H.P. Marriage Registration Act, 1996, they have

applied for entering the name of Radha Devi in the record of Gram Panchayat Seri, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this entry can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-07-2024. The objection received after 29-07-2024 will not be entertained and necessary order will be given accordingly.

Issued today on 25-06-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायर : 29—05—2024

श्रीमती कुशा पत्नी श्री नीता राम, निवासी बांरग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि० प्र०) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरख्खास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इश्तहार बनाम प्रतिवादी:

दरख्खास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे श्रीमती कुशा पत्नी श्री नीता राम, निवासी बांरग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०) का जन्म दिनांक 01—01—1978 को महाल लबाना सदाना में हुआ लेकिन गलती से ग्राम पंचायत लबाना सदाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने से छूट गया। प्रार्थिया अब अपनी जन्म तिथि जन्म पंजीकरण रजिस्टर लबाना सदाना में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पंचायत जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19—07—2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि०प्र०।

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० :

तारीख दायर : 02—06—2024

श्रीमती कमला पत्नी स्व० श्री करण कुमार, निवासी झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
(हि० प्र०) में जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरख्खास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

इश्तहर बनाम प्रतिवादी :

दरख्खास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने वारे श्रीमती कमला पत्नी स्व० श्री करण कुमार, निवासी झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) में बेटी खुशी का जन्म दिनांक 24—01—2019 को महाल चुन्जा में हुआ लेकिन गलती से पंचायत झाकड़ी में जन्म तिथि दर्ज करने से छूट गई जिसे अब प्रार्थिया अपनी बेटी की जन्म तिथि पंचायत झाकड़ी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पंचायत जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19—07—2024 को प्राप्तः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि०प्र०।

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० :

तारीख दायर : 29—05—2024

श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री भिमी राम, निवासी गांव धारला, डॉ गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि० प्र०) में जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरख्खास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

इश्तहर बनाम प्रतिवादी :

दरख्वास्त जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री भिमी राम, निवासी गांव धारला, डा० गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) का जन्म दिनांक 05-07-1994 को महाल लबाना सदाना में हुआ लेकिन गलती से पंचायत लबाना सदाना के जन्म तिथि दर्ज करने से छूट गई। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि जन्म पंजीकरण रजिस्टर लबाना सदाना में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पंचायत जन्म रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि०प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धामी, जिला शिमला (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 05 / 2024

तारीख मरजुआ : 07-06-2024

तारीख फैसला : 29-06-2024

श्री मंजू कुमार पुत्र श्री भूप राम, ग्राम व डा० शकराह, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र।

प्रार्थी श्री मंजू कुमार पुत्र श्री भूप राम, ग्राम व डा० शकराह, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि०प्र०) ने दिनांक 07-06-2024 को प्रार्थना—पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू—राजस्व अभिलेख मौजा झुण्डला व शकराह में प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल पुत्र भूप राम दर्ज राजस्व कागजात है जो कि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का घण्डल को भेजा गया। पटवारी घण्डल से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा झुण्डला व शकराह में प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल पुत्र भूप राम दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत शकराह की परिवार नकल, शपथ—पत्र तथा व्यानात वाशिन्दगान के अनुसार प्रार्थी का नाम मंजू कुमार पुत्र भूप राम है जो सही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा झुण्डला व शकराह पटवार वृत्त घण्डल में प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल उर्फ मंजू कुमार पुत्र भूप राम दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस अदालत में आकर अपना उजर/एतराज पेश करे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन—पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री मान सिंह पुत्र, श्री सेन्डी, गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि०प्र०)
. वादी / प्रथम पक्ष।

बनाम

1. श्री गुरजीत, दिवान सिंह पुत्र श्रीमती कृष्णी, श्रीमती चरन दासी पुत्री श्रीमती जिउ देवी पत्नी स्व० श्री मिसू निवासी महाल गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्री अश्वनी, कुमारी खुशी, कुमारी अनामिका पुत्रीया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०), 3. श्री राम सिंह, गोविन्द पुत्र श्रीमती राधा, मीना, श्रीमती शारदा पुत्री श्रीमती कलमू पत्नी सीसू, निवासी महाल गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०), 4. श्रीमती राकी पुत्री सेन्डी, निवासी गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०), 5. श्री शिव कुमार, मेश कुमार पुत्र श्रीमती पार्वती, श्रीमती गंगी देवी पत्नी स्व० श्री जुन्डी देवी पुत्र सेन्डी, निवासी गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं० 150/32, खसरा नं० 19, रकबा तादादी 0-14-89 है०, वाका चक की इन्तकाल तस्दीक करने बारे हि०प्र०भ० राजस्व अधिनियम बावत वाका चक सनारसा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

इश्तहार बनाम आम जनता:

श्री मान सिंह पुत्र, श्री सेन्डी, गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि०प्र०) दावा तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं० 150/32, खसरा नं० 19, रकबा तादादी 0-14-89 है०, वाका चक की इन्तकाल तस्दीक करने बारे उपरोक्त प्रतिवादीगण/आम जनता को इस इश्तझार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इन्तकाल तस्दीक करने बारे उजर व एतराज है तो वे दिनांक 25-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पूर्व असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इन्तकाल तस्दीक करने बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यक्तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पिंकी पुत्री रेलू राम, निवासी खारु, डाठो देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिं0 प्र0)

बनाम

आम जनता

Application for correction of name, Fathers Name and Date of Birth in the Aadhar Card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती पिंकी पुत्री रेलू राम, निवासी खारु, डाठो देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिं0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम आधार कार्ड में सुनिता तथा पिता का नाम सुन्दला व जन्म तिथि 1977 दर्ज की गई है जोकि गलत है। उसका सही नाम पिंकी तथा पिता का नाम रेलू राम व जन्म तिथि 01-07-1960 है। प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति व मुबलिक 50 रुपये का बैंक ड्राफट संलग्न किया है। आधार कार्ड में सुनिता के स्थान पर पिंकी, पिता सुन्दला के स्थान पर रेलू राम व जन्म तिथि 1977 के स्थान पर 01-07-1960 दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को सुनिता के स्थान पर पिंकी, पिता सुन्दला के स्थान पर रेलू राम व जन्म तिथि 1977 के स्थान पर 01-07-1960 दुरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-07-2024 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। दिगर सूरत में नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हिं0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0 प्र0)

प्रकरण संख्या : / 2024

दायर तिथि : 13-06-2024

श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री सफी मोहम्मद, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री सफी मोहम्मद, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएणडडी/डिलेय कैसिस/2023-13284, दिनांक 21-03-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05-04-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री सफी मोहम्मद, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती हीरा देवी पुत्री माटु राम, निवासी ग्राम शाडिया बजोग, डाकघर शाडीया, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हीरा देवी पुत्री माटु राम, निवासी ग्राम शाडिया बजोग, डाकघर शाडीया, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1964 का पंजीकरण ग्राम पंचायत शाडिया बजोग के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत शाडिया बजोग में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना—पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उत्तराज हो तो वह दिनांक 25-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना उत्तराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)।

ब अदालत प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती किरण बाला पुत्री राम स्वरूप, निवासी ग्राम शामपुर बघार, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती किरण बाला पुत्री राम स्वरूप, निवासी ग्राम शामपुर बघार, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 20-02-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री चतर सिंह, निवासी ग्राम पपलाहां, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कान्ता देवी पुत्री चतर सिंह, निवासी ग्राम पपलाहां, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र

जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 21-07-1964 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री तनखिया राम, निवासी ग्राम नगाली, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री तनखिया राम, निवासी ग्राम नगाली, डाकघर गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ—पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 03-02-1985 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बजगा में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जागृति पुत्री होशियार सिंह, निवासी ग्राम गदशाया, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जागृति पुत्री होशियार सिंह, निवासी ग्राम गदशाया,
डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र जिला
रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि
16-08-1985 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका
था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना—पत्र
जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित
किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई<sup>एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर
सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर
दिए जायेंगे।</sup>

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 20/2024

Date of Instt.: 29-06-2024

Date of Decision: 28-07-2024

Smt. Kalawati w/o Late Sh. Kanshi Ram, r/o Village Dwaru, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki,
Distt. Solan (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Kalawati w/o Late Sh. Kanshi Ram, r/o Village Dwaru, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therin that her Daughter Devindra was born on 25-03-1975 at Village Dwaru, P.O. Darlaghat, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth in respect of Devindra may submit their objections in writing to this office on or before 28-07-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 29th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, Distt. Solan (H.P.)*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 19/2024

Date of Instt.: 26-06-2024

Date of Decision: 25-07-2024

Smt. Suman Devi d/o Sh. Daulat Ram, r/o VPO Kandhar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)
..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Suman Devi d/o Sh. Daulat Ram, r/o VPO Kandhar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therin that she was born on 12-10-1974 at V. P.O. Kandhar, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Mangal, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Mangal, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth in respect of Smt. Suman Devi may submit their objections in writing to this office on or before 25-07-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 26th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, Distt. Solan (H.P.)*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 18/2024

Date of Instt.: 25-06-2024

Date of Decision: 24-07-2024

Smt. Satya Devi d/o Late Sh. Punnu Ram, r/o Village Kulawan, P.O. Piplughat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)
..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Satya Devi d/o Late Sh. Punnu Ram, r/o Village Kulawan, P.O. Piplughat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therin that she was born on 15-04-1966 at Village Kulawan, P.O. Piplughat, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Surajpur, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Surajpur, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Smt. Satya Devi may submit their objections in writing to this office on or before 24-07-2024 at 10-00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 25th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, Distt. Solan (H.P.)*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Siddharth Saighal s/o Mr. Krishan Chander Saighal, r/o H.No. 386, Chowk Bazar, Subathu, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Ms. Kiran Verma d/o Mr. Vijay Kumar Verma,

r/o Village Kathni (743), P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above said Mr. Siddharth Saighal s/o Mr. Krishan Chander Saighal, r/o H.No. 386, Chowk Bazar, Subathu, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Ms. Kiran Verma d/o Mr. Vijay Kumar Verma, r/o Village Kathni (743), P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 20th day of June, 2024.

Seal.

DR. POONAM, HPAS,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Amar Singh s/o Mr. Gopal Dass, r/o Near Baba Balak Nath Mandir, Village Dehun Sapron, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Hemlata w/o Mr. Amar Singh and d/o Mr. Hari Lal, r/o Village Dhawan Dhar Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed application for the registration of their marriage which was solemnized on 18-04-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices have been served to all concerned and general public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Amar Singh s/o Mr. Gopal Dass, r/o Near Baba Balak Nath Mandir, Village Dehun Sapron, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Hemlata w/o Mr. Amar Singh and d/o Mr. Hari Lal, r/o Village Dhawan Dhar Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 20th day of June, 2024.

Seal.

DR. POONAM, HPAS,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Seema Makin d/o Sh. Jagdish Ram Chaudhary, r/o H.No. 11501, Block-II, Prestige Montecario, Block Tiara Puttenahalli, Yelahanka, Bangalore (Karnataka)-560 064 . .Applicant.

Versus

General Public . .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Smt. Seema Makin d/o Sh. Jagdish Ram Chaudhary, r/o H.No. 11501, Block-II, Prestige Montecario, Block Tiara Puttenahalli, Yelahanka, Bangalore (Karnataka)-560 064 has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of birth of her daughter namely Supria Makin d/o Sh. Rakesh Makin and Smt. Seema Makin whose date of birth is 23-09-1982 and her place of birth is at Tripta Niwas, Tank Road Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Supria Makin d/o Sh. Rakesh Makin and Smt. Seema Makin may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-07-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-
(MULTAN SINGH BANYAL),
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Pushpa Devi d/o Sh. Kishan Singh, r/o Village and Post Office Kaba Kalan, Tehsil and District Solan (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public . .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Smt. Pushpa Devi d/o Sh. Kishan Singh, r/o Village and Post Office Kaba Kalan, Tehsil and District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of her date of birth i.e. 08-10-1978 and her place of birth is at Village and Post Office Kaba Kalan, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Kaba Kalan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Pushpa Devi d/o Sh. Kishan Singh and Smt. Kamla Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-07-2024 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Neha Dhanda d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Shri Baba Balak Nath Bhawan, Opposite New Bus Stand, Tehsil and District Solan (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Smt. Neha Dhanda d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Shri Baba Balak Nath Bhawan, Opposite New Bus Stand, Tehsil and District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of her date of birth which is on 12-03-1984 and her place of birth is at 134/40, Solan By Pass Solan, Post Office Sapron, Tehsil & District Solan but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Neha Dhanda d/o Sh. Ravinder Kumar and Smt. Sunita Dhanda may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-07-2024 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of June, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.).

**In the court of Sub-Divisional Magistrate, Kasauli -cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Shubham Garg aged 31 years D.O.B 08-09-1992 s/o Sh. Shiv Kumar Garg, r/o A-3, Block 66, Sector-6, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
2. Smt. Sunaina Rani aged 29 years, D.O.B. 02-09-1995 d/o Sh. Devi Dayal, r/o Ward No. 6, Brar Colony, Khanuri Mandi, District Sangrur, PB.

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Shubham Garg s/o Sh. Shiv Kumar Garg, r/o A-3, Block 66, Sector-6, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Sunaina Rani aged 29 years, D.O.B. 02-09-1995 d/o Sh. Devi Dayal, r/o Ward No. 6, Brar Colony, Khanuri Mandi, District Sangrur, PB. at present w/o Sh. Shubham Garg, r/o A-3, Block 66, Sector-6, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 29-02-2024 that they have solemnized their marriage on 27-06-2023 with each other. before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach to this court on or before 20-07-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 29-04-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Monika w/o Surat Ram, r/o Village Shil, P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) have changed my name from Monika to Manu Kumari.

MONIKA
w/o Surat Ram,
r/o Village Shil, P.O. Jagjit Nagar,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Payari w/o Atar Chand, r/o Village Ber, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Ram Payari to Paru.

RAM PAYARI
w/o Atar Chand,
r/o Village Ber, P.O. Chambaghat,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meera Sharma aged about 57 year w/o Anil Kumar Sharma, House No. 63, Ward No. 2, Upper Bazar Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name Meera Thakur (Previous Name) to Meera Sharma (New Name). All concerd please may note.

MEERA SHARMA
w/o Anil Kumar Sharma,
House No. 63, Ward No. 2,
Upper Bazar Hamirpur (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Seema Kaur w/o Malkiyat, r/o Village Shamlech Koti, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name Soma Devi.

SEEMA KAUR
w/o Malkiyat,
r/o Village Shamlech Koti,
P.O. Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hari Kumari Thapa w/o Prem Khatri, r/o Gate No. 1, Jouna Ji Road, P.O. Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Sangharsh to Safal K.C.

HARI KUMARI THAPA
*w/o Prem Khatri,
r/o Gate No. 1, Jouna Ji Road, P.O. Solan,
Tehsil & District Solan (H.P.).*